नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली आमन्दा वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 29.2.16 को पेश हो।	
	सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	
29.2.16	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने अंतिम बहस हेतु समय चाहा। पूर्व में अनेक अवसरों के बाद अंतिम अवसर दे दिया जा चुका है। तीन दिन में अंतिम बहस करने की शर्त पर एक अंतिम अवसर न्याय हित में दिया जाता है। तीन दिन में बहस नहीं करने की स्थिति में बहस बंद की जाए। पत्रावली आमन्दा वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 3.3.16 को पेश हो।	
	सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	
3.3.16	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान व स्टेट की ओर से पेशकार सरकार उपस्थित व बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 17.3.16 को पेश हो।	
	सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	
17.3.16	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी व पेशकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि मौजा कांधपुरा पटवार हल्का पेशुआ स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 445 व 445/1 कुल रकबा ... खाता खदर ... लिया ... विजय ...	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व... जो इस... मेंख हुक्म
	जिसके दौरान न्यायालय में पेश किया गया है विवादित भूमि के आवंटन हेतु 1987 में प्रार्थनापत्र पेश किया था जिसकी नकल न्यायालय में पेश की था कुछ 1997 में [illegible] विवादित भूमि के आवंटन/ सरकार को [illegible] धारा 80 CPC का नोटिस भी दिया था। अप्रार्थी सं0 1 भोपालसिंह मेरी [illegible] भारत की भूमि पर [illegible] कब्जा करना चाहता है। भोपालसिंह का विवादित भूमि पर कोई लेना देना नही है केवल कब्जा करना चाहता है भोपालसिंह का कहना है कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं0 2 शायराम चौधरी ने एग्रीमेन्ट पर खरीदी थी बाद के [illegible] तक विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 कब्जा बताते है। सरकार [illegible] पर यथास्थिति बनाये रखी अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि शायराम की खातेदारी है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा निहित है वर्ष 1997 से विवादित भूमि का मेरे नाम [illegible] का नोटिस जारी हुआ है विवादित भूमि का रकबा बड़ा है भूमि पर प्रार्थी ने बताया हमारा भी कब्जा रहा है भूमि कब्जा नहीं प्रार्थी का इन्कार निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थनापत्र [illegible] [illegible] आदेश किया जाना [illegible] नहीं होने से [illegible] अपनी बहस में बताया सरकार ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि सरकारी है सरकारी भूमि पर प्रार्थी को [illegible] दिया जाना उचित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा नवीन पहिमापन व पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि सरकारी सिवायचक थी है विवादित भूमि पर दोनों प्रार्थी व अप्रार्थीगण अतिक्रमी है। सरकारी भूमि को कोई भी विक्रय नहीं किया जा सकता है सरकारी भूमि पर सरकार के निर्देश अनुसार किसी आदेश दिया जाना आम रास्ता नहीं है किन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी का विवादित भूमि पर अतिक्रमण है अतः प्रार्थी का आंशिक प्रार्थना स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द इस शर्त पर किया जाता है कि वे प्रार्थी के अतिक्रमित भूमि पर कोई दखलंदाजी नहीं करें। साथ ही यह भूमि चारों तहसीलदार को भी यह निर्देश दिया जाता है कि भूमि राजकीय है अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 LRA के तहत न्यायालय कार्यवाही करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वन्द के रूप में। [signature] 17/3/16 सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	